



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- खैरथल—तिजारा में चिकित्सा अधिकारी 85 हजार रुपये संदिग्ध रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार
- आवास की तलाशी में भी 1 लाख रुपये की संदिग्ध रिश्वत राशि बरामद, अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 03 अप्रैल, बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर—द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये डॉ. चमन प्रकाश चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ततारपुर, जिला खैरथल—तिजारा को उसकी कार में 85 हजार रुपये की संदिग्ध रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर—द्वितीय इकाई को गोपनीय सूत्र से एक विडियो प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी चिकित्सा अधिकारी एवं उसके साथ खड़ा हुआ एक स्वास्थ्यकर्मी, एक व्यक्ति से रिश्वत राशि ग्रहण कर रहा है। सूचना के अनुसार पुलिस थाना ततारपुर में दर्ज मुकदमें में मेडिकल रिपोर्ट में किसी एक पक्ष को लाभ पहुँचाने की एवज में आरोपी डॉ. चमन प्रकाश चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ततारपुर, जिला खैरथल—तिजारा द्वारा उक्त रिश्वत ली गई है तथा रिश्वत राशि के साथ अपनी कार से ततारपुर से अलवर जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी अलवर—द्वितीय इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के आकस्मिक चैंकिंग/ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी चिकित्सा अधिकारी को 85 हजार रुपये की संदिग्ध रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि गोपनीय सूचना के अनुसार आरोपी चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक दिन पहले भी उसी व्यक्ति से 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि ली गई थी, उक्त संदिग्ध रिश्वत राशि भी कार्यवाही के दौरान आरोपी के आवास की तलाशी में बरामद की गई है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।